**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्या: **47 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Jaywant Bherviya Add: 29, Mahaveer Nagar, New Bhopal Pura, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

# निर्णय

**दिनांक:** 28-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329499575920343 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 5206796939 दिनांक 25.03.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 47 / 25 / 320–21 दिनांक 25.03.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प. / 41 / 2 / सू.अ / प्र.अ.स. / 47 / 25 / 266–67 दिनांक 02.04.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 20.03.2025 को ऑनलाईन आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जीवन / स्वतंत्रता की तात्कालीकता में दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थना पत्र में ऐसी किसी स्थिति का होना नहीं पाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र का संबंध तहसीलदार गिर्वा से होने से इस कार्यालय के पत्रांक 240–41 दिनांक 24.03.2025 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उक्त कार्यालय का अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.03.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 22.03.2025 एवं 23.03.2025 को राजकीय अवकाश होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2025 को तहसीलदार गिर्वा को अंतरित किया गया था। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने में इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रथम अपील निरस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय के पत्रांक 240–41 दिनांक 24.03.2025 द्वारा

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अन्तरित कर दिया गया एवं अंतरण की सूचना से प्रार्थी को भी अवगत करवा दिया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-05-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि. एवं**
**जिला कलक्टर, उदयपुर**